प्राथमिक विद्यालयों में भाषा शिक्षण की वर्तमान स्थिति का आकलन

शशि कुशवाहा*
सुनील कुमार सिंह**

मनुष्य को उत्कृष्ट सामाजिक जीवनयापन करने हेतु भाषा का विकसित एवं समृद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि भाषा संवाद का माध्यम होने के साथ-साथ व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। अतः बच्चों के विकास की प्रारंभिक अवस्था से ही 'भाषा विकास' को शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में सशक्तता के साथ स्थान दिया गया है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु तथा बच्चों को भाषा सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को सहज, स्वाभाविक और सार्थक बनाने के संदर्भ में घर, समाज तथा शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा — 2005 में भी बच्चों को पढ़ने-सीखने के बारे में विचार करने तथा समझ विकसित कर उनकी पठन क्षमताओं का विकास करने पर बल दिया गया है। भाषा शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में कई संभावनाओं को विकसित किया जाता है, जैसे — भाषा कुशलता, बोधगम्यता, ग्रहणशीलता, संवाद, सृजनात्मकता आदि। ये ऐसी संभावनाएँ हैं, जिससे विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था भी जुड़ी हुई है। ये ऐसे पक्ष हैं, जिनके बिना प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि प्राथमिक स्तर बहुत ही संवेदनशील और निर्णायक होता है, जिससे जीवन भर के विकास के आधार और सभी संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। अतः प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में भाषा शिक्षण के विविध पक्षों की आलोचनात्मक विवेचना की महति आवश्यकता है। अतः इस संदर्भ में प्रस्तुत लेख संबंधित साहित्य अध्ययनों के आधार पर लिखा गया है। इस लेख में मूलतः भाषा शिक्षण का संप्रत्यय एवं उद्देश्य, प्राथमिक विद्यालयों में भाषा शिक्षण की समसामयिक स्थिति तथा भाषा शिक्षण की समस्याओं का निदान भी सुझाया गया है।

भाषा शिक्षण का संप्रत्यय एवं इसके उद्देश्य

इसके अंतर्गत तीन पक्षों क्रमशः भाषा शिक्षण का भाषा का संप्रत्यय, भाषा शिक्षण के उद्देश्य एवं भाषा शिक्षण के सिद्धांत नामक शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुति की गई है।

भाषा शिक्षण का संप्रत्यय

व्यक्तित्व विकास, स्वस्थ अभिरुचियाँ, अभिवृत्तियाँ तथा संप्रेषण कौशल का विकास होता है। हमारे बौद्धिक एवं सांस्कृतिक उत्कर्ष का आधार भी भाषा ही होती है। भाषा केवल साहित्य के ज्ञान के लिए

* *शोधार्थी*, शिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221 005
** *प्रोफ़ेसर*, सुनील कुमार सिंह, शिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221 005

नहीं, अपितु अन्य विषयों को जानने का अवसर प्रदान करती है। इसी कारण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाषा शिक्षण को अधिक-से-अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। सामान्य तौर पर 'शिक्षण' का अर्थ ज्ञान प्रदान करना, जानकारी देना, कुशलता विकसित करना माना जाता है। भाषा शिक्षण भी उस विशिष्ट व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें भाषाई कुशलता का विकास संभव हो। भाषाई कुशलता का संबंध भाषा के चार कौशलों से है— सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना प्रथम स्तर है जो बच्चे के बोलने, समझने तथा अभिव्यक्ति में मुख्य भूमिका निभाती है। भाषा शिक्षण में इन कौशलों के विकास क्रम का ध्यान रखा जाता है।

भाषा शिक्षण की योजना के तीन चरण माने जाते हैं। ये चरण इस प्रकार हैं — चयन, अनुस्तरण, और प्रस्तुतीकरण। प्रथम चरण के अंतर्गत उन पाठ्य बिंदुओ को रखा जाता है, जिन्हें पाठ्यपुस्तक में शामिल किया जाना है। ये पाठ्य बिंदु ध्वनि, लिपि, वर्तनी, शब्द, वाक्य आदि सभी भाषिक तत्व हैं, जिनका समझ के साथ प्रयोग करना भाषा शिक्षण का लक्ष्य है। दूसरा चरण 'अनुस्तरण' है, जिसका उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी को पहले सरल और आवश्यक तत्व सिखाए जाएँ, बाद में क्रम से अन्य तत्वों को सिखाया जाए। ये दोनों चरण पाठ्य सामग्री निर्माण से संबंधित हैं, जबकि तीसरा चरण प्रस्तुतीकरण (कक्षा अध्यापन) प्रारंभ से संबंधित है। इस चरण के तीन प्रमुख पहलू हैं — विद्यार्थी, सामग्री, और शिक्षक। इन पहलुओं में शिक्षक का दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जो विद्यार्थियों की योग्यता, रुचि तथा आवश्यकतानुसार पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित करता है तथा उसके शिक्षण की योजना तैयार करता है। विभिन्न तकनीकों तथा साधनों की सहायता से शिक्षक शिक्षण सामग्री को अपनी कुशलता से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, जिससे विद्यार्थी भाषा अधिगम के लिए प्रेरित हो सके।

भाषा अर्जन की प्रक्रिया एक स्वाभाविक, सहज और अनौपचारिक प्रक्रिया है जो कक्षा में भाषा के अधिगम से भिन्न है। बालक भाषा अर्जन में अनेक युक्तियों का प्रयोग करता है, जैसे — सहजता, अनुकरण, अभिव्यक्ति, अभ्यास, बारंबारता एवं संक्षिप्तता। बालक इस संदर्भ में भाषाई प्रयोगों को सुनता है और ग्रहण कर अपने व्यवहार में शामिल करता है। भाषा अर्जन में अधिगम प्रक्रिया का विशेष महत्व है। विद्यालय में प्रवेश लेने पर विद्यार्थी की विधिवत शिक्षा प्रारंभ हो जाती है तथा वह भाषा सीखने-सिखाने के आधारभूत सिद्धांतों और प्रयोगों को काम में लाने लगता है।

इस प्रकार, कहा जा सकता है कि बच्चों के भाषा सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को सहज, स्वाभाविक और सार्थक बनाने के संदर्भ में घर-परिवेश, अध्यापक और विद्यालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी भाषा को बोलना सीखते समय हम कई और चीज़ें सीखते हैं। अपनी भाषा के माध्यम से हमें अपने परिवार तथा समुदाय के नैतिक मूल्य संदर्भ से परिचित कराया जाता है। हम अपने दैनिक जीवन में नाम पुकारना, पहचान करना, वगीकृत करना, श्रेणीबद्ध करना, मूल्यांकन करना सीखते हैं। कक्षा 1 से 8 तक की आरंभिक

शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा को बुनियादी अधिकार में शामिल कर दिया है। इस चरण के शुरुआत में बच्चे को पढ़ने-लिखने और अंकगणित से औपचारिक परिचय कराया जाता है। आठ सालों की यह अवधि वह समय है, जब महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास होता है और विवेक को आकार मिलता है, सामाजिक कौशलों और बुद्धि एवं काम के लिए ज़रूरी कौशलों तथा अभिवृत्तियों का भी विकास होता है।

प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक देश की प्रथम प्राथमिकता है, क्योंकि यह पहली सीढ़ी है, जिसे सफलतापूर्वक पार करके ही कोई देश अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुँचता है। विद्यालयी पाठ्यक्रम की संकल्पना तथा प्रक्रिया में 'भाषा' का स्थान एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा और समझा जाता रहा है। पाठ्यक्रम में भाषा सीधे तौर पर तथा अन्य विषयों के माध्यम से दुनिया को समझने तथा समझ को विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालय में भाषा एक विषय के रूप में तथा माध्यम के रूप में सीखी-सिखाई जाती है। जब भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है तो वही प्रक्रिया 'भाषा शिक्षण' के रूप में जानी जाती है।

भाषा की कक्षा में अध्यापक का दायित्व महत्वपूर्ण होता है। वह विद्यार्थियों की योग्यता, रुचि तथा आवश्यकतानुसार पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित करता है तथा उसके शिक्षण की योजना तैयार करता है। विभिन्न तकनीकों तथा साधनों की सहायता से शिक्षण सामग्री को अपनी कुशलता से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। जिसमें विद्यार्थी अधिगम के लिए प्रेरित हो जाते हैं।

भाषा शिक्षण के उद्देश्य

भाषा संबंधी उद्देश्यों के संदर्भ में एन.सी.ई.आर.टी. (2006) ने कक्षा एक और दो में भाषा सीखने-सिखाने का उद्देश्य इस प्रकार बताया है, "बच्चों में अपने अनुभव और विचार बताने की इच्छा और उत्सुकता जगाना, बच्चों में दूसरों की बात सुनने में रुचि और धैर्य पैदा करना, उनसे सुनी बात पर टिप्पणी दे पाना, सुनी-पढ़ी कहानियों और कविताओं से अपने अनुभव संसार को जोड़ पाना और उसके बारे में बात करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना आदि।"

भारतीय भाषाओं का शिक्षण राष्ट्रीय फ़ोकस समूह के आधार पत्र (2009) में कहा गया है कि, "सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बच्चे को इस प्रकार साक्षर बनाना है कि बच्चा समझने के साथ पढ़ने एवं लिखने की क्षमता हासिल कर सके। साथ ही द्विभाषिकता और पराभाषिक चेतना को बढ़ावा देना हमारा प्रयास होना चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों में विनम्रता और नम्यता की क्षमता विकसित करना ज़रूरी है, ताकि वे सभी प्रकार की स्थितियों में सहिष्णुता एवं आत्म सम्मान के साथ संवाद स्थापित करने की क्षमता प्राप्त कर सकें।"

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भाषा शिक्षण में तीन मुख्य उद्देश्यों का होना आवश्यक है — (1) भाव प्रकाशन; (2) भाव ग्रहण; (3) सृजनात्मकता।

भाव प्रकाशन—वही भावभिव्यक्ति अधिक सफल होगी, जिसे दूसरे व्यक्ति सरलता एवं स्पष्टता से समझ सकें। इसलिए विद्यार्थियों में प्रारंभ से ही इस प्रकार शिक्षण प्रदान किया जाए, जिससे वे अपने विचार को सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली विधि से लिखने और बोलने में प्रवीण बन जाएँ।

भाव ग्रहण—सर्वप्रथम भाषा शिक्षण द्वारा ऐसी क्षमता विद्यार्थियों में उत्पन्न की जाए जिससे वह दूसरों द्वारा कथित या लिखित भाव को यथाविधि समझ सकें। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में सुनने तथा पढ़ने की योग्यता, बोधगम्यता का विकास किया जाए, जिसमें वे किसी को सुनकर या पढ़कर अंशों का अर्थ स्वतः ग्रहण करते जाएँ।

सृजनात्मकता — भाषा शिक्षण की परम सफलता वह है, जहाँ विद्यार्थी पारस्परिक भाव का आदान-प्रदान मौलिकता के माध्यम से करें। भाषा शिक्षण का उद्देश्य पढ़ने के प्रति ऐसे आनंद भाव का सृजन, जो साहित्य पढ़ने एवं लिखने की इच्छा उत्पन्न कर सके।

भाषा शिक्षण के सिद्धांत

सफाया (1937), शुक्ल (1975), प्रसाद (1976) के द्वारा भाषा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है —

1. **रुचि तथा प्रेरणा का सिद्धांत**—विद्यार्थियों में किसी भी प्रकार के सीखने में रुचि एवं प्रेरणा का होना अति आवश्यक है। हरबर्ट ने लिखा है कि, "उन्हें (शिक्षकों को) बालक की रुचि का सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो, उन्हें नहीं पढ़ाना चाहिए। इससे उनके विकास में बाधा पहुँचती है। पाठ पढ़ाने के पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए, जिससे वे पाठ को अच्छी तरह समझ सकें" (केशव, 1976)।
2. **क्रियाशीलता का सिद्धांत** — विद्यार्थियों को करके सीखने में आनंद आता है। भाषा शिक्षण के समय विद्यार्थियों में सतत क्रियाशील रखने के लिए प्रश्न पूछना, उत्तर लेना, उत्तर ढूँढ़ना, मौखिक एवं लिखित रचनात्मक कार्य करना, अभ्यास से संबंधित बातचीत करना चाहिए। जिससे पठन-पाठन में रुचि बढ़ती है। जिससे पाठ सहज ग्राह्य होता है।
3. **बोलचाल का सिद्धांत** — कक्षा में भाषा सीखते समय विद्यार्थियों को अधिक बोलने का अवसर देना चाहिए। जिससे विद्यार्थी में संकोच, भय, हिचकिचाहट दूर कर अपने विचार को प्रकट कर सके। "पढ़ने-लिखने की अपेक्षा बोलने से ही भाषा शीघ्र सीखी जा सकती है। प्रश्न करने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करने से भाषा शीघ्र सीखी जाती है। भाषा का संबंध अधिकतर कान और ज़बान के साथ है। बोलचाल से ही शुद्ध उच्चारण, लय, मात्रा आदि का अभ्यास हो जाता है" (सफाया, 1937)।
4. **अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत** — भाषा शिक्षण के दो पक्ष हैं — ग्रहण तथा अभिव्यक्ति। ग्रहण की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है— (i) सुनकर और (ii) पढ़कर। विद्यार्थी सुनकर तथा पढ़कर जो ग्रहण करते हैं, उसी आधार पर उनकी अभिव्यक्ति होती है। विचारों की अभिव्यक्ति के भी दो प्रकार हैं — (i) लिखकर और (ii) बोलकर। भाषा के इन चार अंगों में उपयुक्त क्रम अपेक्षित है।

5. **अनुकरण का सिद्धांत**—भाषा सीखने में विद्यार्थी अनुकरण प्रवृत्ति का सहारा लेते हैं। इसलिए शिक्षक को सदैव अपने शुद्ध उच्चारण, संवाद लेखन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी उनका अनुकरण करते हैं। इसके साथ है विद्यार्थियों का शुद्ध अनुकरण प्रवृत्ति की ओर आकर्षित करना चाहिए।
6. **अभ्यास का सिद्धांत**—भाषा को निरंतर बोलने एवं लिखने का अभ्यास ही विद्यार्थी की भाषा को सशक्त बनाता है। विद्यार्थी जितनी तेज़ी से याद करते हैं, उससे तीव्र गति से भूल भी जाते हैं। इसी कारण विद्यार्थियों में निरंतर अभ्यास के लिए शिक्षक को सावधान रहना चाहिए।
7. **अनुबंधन का सिद्धांत** — भाषा विकास में इस सिद्धांत का बहुत योगदान है। जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता, बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है, जैसे — पुस्तक कहने पर उन्हें पुस्तक दी जाती है आदि। इसी तरह बच्चे विशिष्ट वस्तु से साहचर्य स्थापित करते हैं और अभ्यास हो जाने पर संबंधित वस्तु या व्यक्ति की उपस्थिति पर संबंधित शब्द से संबोधित करते हैं।
8. **रचनात्मकता का सिद्धांत**—रचनात्मक रणनीति के माध्यम से विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान एवं सूचना के आधार पर नये तरह की समझ विकसित करता है। इस सिद्धांत में अध्यापक प्रश्न उठाता है और विद्यार्थी के जवाब ढूँढ़ने की प्रक्रिया का निरीक्षण करता है, उन्हें निर्देशित करता है तथा सोचने, समझने की नये विधियों का सूत्रपात करता है।

उपर्युक्त भाग में वर्णित भाषा शिक्षण के संप्रत्यय, उद्देश्य एवं सिद्धांतों को दृष्टिगत करके वर्तमान प्राथमिक शिक्षा में भाषा शिक्षण की स्थिति को आगे के भागों में दर्शाया गया है।

वर्तमान प्राथमिक शिक्षा में भाषा शिक्षा की स्थिति

वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों में भाषा शिक्षण की समसामयिक स्थिति इस प्रकार है —

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा में भाषा शिक्षण

दसवर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा—1975 में त्रिभाषा सूत्र को लागू करने की सिफ़ारिश की तथा सुझाया कि प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर बच्चों को प्रथम भाषा सिखाई जानी चाहिए। यह भाषा सामान्यतः मातृभाषा होनी चाहिए। प्रथम भाषा का स्तर इतना अवश्य होना चाहिए कि वह दूसरे से वार्तालाप करके या लिखकर अपनी बात भली-भाँति कह सके।

भाषा शिक्षण के संदर्भ में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर के अंत तक विद्यार्थी को मातृभाषा के मानक के रूप में माध्यम से सामान्य रूप में अपेक्षित गठन और शब्दावली का प्रयोग करके मौखिक और लिखित रूप में आत्मभिव्यक्ति करने में समर्थ हो जाना चाहिए। विद्यार्थी को शुद्ध उच्चारण, ध्वनि के उतार-चढ़ाव, मुद्रा आवश्यक गति और अर्थ ग्रहण करते हुए मौन पाठ का सही तरीका आना चाहिए। उनमें अपने स्तर के अनुरूप सरल वर्णनों को सुनकर अर्थग्रहण की क्षमता भी होनी चाहिए।

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा—2000 में भाषा के केंद्रीय महत्व को स्वीकार किया गया तथा

देश में शिक्षा के सभी स्तरों पर भाषा विकास के प्रयास जारी रखने की बात कही गई। भाषा शिक्षण के मौखिक आयाम पर आवश्यक ज़ोर दिया गया। भाषा शिक्षण को पाठ्यपुस्तक तक ही सीमित न रखकर विस्तृत वाचन पर ज़ोर दिया जाए। भाषा शिक्षण के सभी कार्यक्रमों में शैक्षिक उद्देश्यों की दृष्टि मौखिक और लिखित भाषा प्रयोग की योग्यता के विकास पर बल देना होगा। प्राथमिक स्तर के प्रथम दो वर्षों में बच्चों को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और सोचना जैसे मूल कौशलों को विकसित करने में मदद करनी होगी। शुद्ध उच्चारण, लेखन और सही वर्तनी अवबोध के साथ मौन वाचन की सही प्रक्रिया एवं आदत का विकास करना होगा। यह कार्य विद्यार्थियों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति के पोषण के साथ-साथ होगा।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा—2005 में माना गया कि स्कूल का पहला सरोकार बच्चे की भाषा क्षमता के विकास से है—अभिव्यक्ति और साक्षरता संबंधी क्षमता, भाषा को रचने, सोचने और दूसरों से संप्रेषण में उपयोग की क्षमता के मुद्दे इसमें शामिल हैं। भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र को उसके मूलभाव के साथ लागू किए जाने की ज़रूरत है, ताकि बहुभाषी देश में बहुभाषी संवाद के माहौल को बढ़ावा दिया जा सके।

भारतीय भाषाओं का शिक्षण—राष्ट्रीय फ़ोकस समूह का आधार पत्र (2009)

इस आधार पत्र में तमाम संवादों और बहसों के आधार पर भाषा शिक्षण के लिए निम्नलिखित सिफ़ारिश प्रस्तुत की गई हैं, जिनका सारांश निम्नवत है—

1. प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः 'भाषा शिक्षण' केंद्रित है। इस स्तर पर समाज, परिवेश, गणित का ज्ञान मातृभाषा के माध्यम से प्रभावी ढंग तथा आसानी से प्राप्त किया जाता है।
2. जिन विद्यालयों में योग्यता प्राप्त शिक्षक और पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध हों वहाँ प्राथमिक स्तर पर अंग्रेज़ी पढ़ाई जा सकती है, लेकिन प्रथम एक-दो वर्षों तक फ़ोकस मुख्यतः मौखिक, श्रवणकुशलता एवं दैनिक बातचीत पर ही होना चाहिए। अंग्रेज़ी की कक्षा में बच्चों को उनकी अपनी भाषा का प्रयोग करने से नहीं रोकना चाहिए।
3. पूरी कक्षा में द्विभाषिता को बनाए रखना चाहिए। घर में बोली जाने वाली, दोस्तों एवं पड़ोस की भाषाओं तथा विद्यालय में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच फ़ासले को पाटने का पूरा प्रयास करना चाहिए।
4. पाठ्यचर्या-निर्माताओं, पाठ्यपुस्तक लेखक और शिक्षक को विभिन्न भाषाओं और विषयों के बीच संपर्क-सूत्र स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।
5. भाषा शिक्षण के मामले में संपूर्णतावादी (होलिस्टिक) रुख अपनाने की ज़रूरत है।
6. बहुभाषी कक्षाओं को अवरोध के बजाय, संसाधन के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।
7. शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे संस्थान खोले जाएँ जहाँ भाषा-शिक्षण के लिए कुशल प्रशिक्षक तैयार किए जा सकें।
8. मूल्यांकन की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, इसमें भाषिक विविधता के वे पहलू जो

विभिन्न अभिव्यक्तियों और शैलियों में पाए जाते हैं तथा साथ ही वे संप्रेषणात्मक कार्य जो पूरी पाठ्यचर्या में निहित होते है; इन सभी पक्षों को मूल्यांकन का भाग बनाना चाहिए।

9. पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में अच्छे पुस्तकालय होने चाहिए, जिसमें बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने और लिखने के प्रति भी प्रेरित किया जा सके।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (2012) ने प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा में प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण की महत्ता को स्वीकार करते हुए उसकी स्थिति पर दृष्टि डाली। इसके अनुसार, "प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास भाषा शिक्षण के माध्यम से होता है। परंतु आज इस अवस्था के बच्चों की शिक्षा और देखभाल के संबंध में हमारे देश में तमाम चुनौतियाँ तथा सरोकार सामने आ रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि हममें से बहुत-से लोग इन सरोकारों के विषय में जानकारी नहीं रखते हैं और इसलिए एक शिक्षक, एक अभिभावक के रूप में इस अवस्था के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताएँ समझे बिना ही देखभाल और शिक्षा अन्य अवस्था के बच्चों की तरह ही करना आरंभ कर देते हैं।"

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (2014)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा यह सर्वेक्षण सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के अधिगम स्तर की गुणवत्ता की जाँच तथा पूरी सरकारी शिक्षा व्यवस्था की स्थिति का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस सर्वेक्षण से अलग-अलग राज्यों के विद्यार्थियों की उपलब्धि में औसतन बहुत अधिक अंतर पाया गया। इससे पता चलता है कि शैक्षिक परिणामों की गुणवत्ता पूरे देश में एक समान नहीं है। एन.सी.ई.आर.टी. (2012–2013) के मथुरा अध्ययन व कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ने-लिखने और समझ को आँकने के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में मौजूदा भाषा विकास के मुद्दे, जैसे— समझ के साथ सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के पुनरीक्षण की आवश्यकता का सुझाव देती है।

ऐन्युअल स्टेट्स ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट (2016)

सरकारी विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अलग-अलग स्तरों पर पढ़ने की योग्यता संबंधी सर्वेक्षण में पाया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा 3 के ऐसे बच्चों के अनुपात में वृद्धि हुई है जो कक्षा 1 के स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं। 2014 में यह अनुपात 40.2 प्रतिशत था, जो 2016 में बढ़कर 42.5 प्रतिशत हो गया। जबकि वर्ष 2011 से लेकर 2016 तक कक्षा 5 के बच्चों के पढ़ने की योग्यता लगभग समान रही है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर 2014 से लगातार कक्षा 8 के विद्यार्थियों में पढ़ने की योग्यता में गिरावट हुई है।

इसमें साथ ही *असर* (2016) ने प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों में अंग्रेज़ी भाषा पढ़ने की योग्यता संबंधी आँकड़ों को प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार हैं — 2009 में कक्षा तीन के 28.8 प्रतिशत बच्चे अंग्रेज़ी के सामान्य शब्द पढ़ने में समर्थ थे जबकि 2016 में यह संख्या बढ़कर 32 प्रतिशत हो

गई। लेकिन 2016 में कक्षा पाँच के 24.5 प्रतिशत बच्चे अंग्रेज़ी के सामान्य वाक्य पढ़ने में समर्थ थे। अतः 2009 से लेकर वर्तमान में इस संख्या में अधिक बदलाव नहीं हुआ। हालाँकि, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी यह स्थिति अत्यंत शोचनीय है। उदाहरण के लिए, 2009 में कक्षा 8 में नामांकित 60.2 प्रतिशत बच्चे अंग्रेज़ी के सामान्य वाक्य पढ़ सकते थे, 2014 में यह संख्या 46.7 प्रतिशत हो गई तथा 2016 में यह संख्या कम होकर 45.2 प्रतिशत हो गई। इस रिपोर्ट के आँकड़े भाषा शिक्षा के समस्त पक्षों पर प्रश्न चिह्न लगाते हैं।

भाषा शिक्षण में पढ़ना एक मूलभूत कौशल है जिसका विकास प्राथमिक स्तर पर ही हो जाना चाहिए, जिससे बच्चे में भाषा कुशलता के साथ बोधगम्यता, संवाद तथा सृजनात्मकता आदि का विकास हो सके। विकास का संबंध जीवन की समस्त संभावनाओं से जुड़ा होता है। इन सभी संभावनाओं को हमारे देश में समय पर बनी राष्ट्रीय पाठ्यचर्याओं की रूपरेखा में भी अपनाया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा— 2005 में भाषा क्षमता का विकास करना विद्यालय का प्रथम महत्वपूर्ण कार्य माना गया तो फिर क्यों वह क्षमताएँ हमारी कक्षाओं में प्रकट नहीं हो पा रही हैं? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की ऐसी स्थिति अन्य समस्याओं की तरफ़ हमारा ध्यान ले जाती है।

भाषा शिक्षण संबंधी समस्याएँ

प्राथमिक विद्यालय में भाषा शिक्षण संबंधी समस्या से तात्पर्य विद्यार्थियों में अर्थपूर्ण, ग्रहणशील अभिव्यक्ति की समस्या से है। विभिन्न शोध अध्ययनों में भाषा शिक्षण की समस्याओं को उजागर किया गया है। भाषा शिक्षण की समस्याओं में, जैसे— संप्रेषण, बोलने, सुनने, लिखने, पढ़ने तथा समझ के विकास का न होना पाया तथा विविध भाषाओं के शैक्षिक पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में कमी को उजागर किया गया है। भाषा शिक्षण से संबंधित समस्या का विवरण इस प्रकार है —

संप्रेषण कौशल संबंधी समस्या

शैफाली रे (2012), रेवा यूनुस (2014) ने भाषा शिक्षण में संवाद संबंधित समस्या को उजागर किया है। भाषा शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में संप्रेषण कौशल का विकास होना चाहिए तथा अपनी बातों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने की कला भी आनी चाहिए लेकिन प्राथमिक कक्षाओं में संप्रेषण कौशल का गुण विकसित नहीं हो पा रहा है। यदि बच्चे से कुछ पूछा जाता है तो वह शर्माते हैं या सिर नीचे कर लेते हैं, वे अपने विचार-भाव को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते हैं। बच्चे अपनी बात कहने में डरते या हिचकते हैं।

सहज अभिव्यक्ति एवं व्यावहारिक कौशल संबंधी समस्या

वसीली (1998) के अनुसार, भाषा की कक्षा में अध्यापन कार्य सहज एवं स्वाभाविक रूप से किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के भाषा विकास में परिलक्षित पाठ्य-वस्तु को व्यावहारिक कौशल से जोड़कर पढ़ाना तथा बच्चों में सहज अभिव्यक्ति की कला का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन वर्तमान कक्षाओं में अभी भी पाठ्य-वस्तु को बच्चे के अंदर भरने की कोशिश की जाती है। पाठ्य सामग्री को बच्चे द्वारा सीखे जाने पर ज़ोर दिया जाता है, लेकिन

समझ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सीखे हुए ज्ञान को व्यावहारिक जीवन से जोड़ा ही नहीं जाता, जिससे विद्यार्थियों में सहज अभिव्यक्ति का अभाव होता है। इससे विद्यार्थी अपने विचारों को कक्षा में सरलता एवं सहजता से नहीं रख पाता है। अधिकतर कक्षाओं में भाषा शिक्षण की कक्षाओं को भी अन्य विषयों की तरह याद करवाने तथा पाठ्य-वस्तु को पूरा करने पर ज़ोर दिया जाता है। पाठ्य-वस्तु की सामग्री को बच्चे ने सीखा या नहीं, इस पर फ़ोकस नहीं किया जाता। भाषा रटाने की नहीं, बल्कि व्यवहार में अपनाने का विषय है। विद्यार्थी सीखी हुए सामग्री का प्रयोग अपने भाषा संवाद में नहीं कर पाते, बल्कि केवल उसे पाठ्यपुस्तक से पुस्तिका तक ही सीमित कर लेते हैं।

रचनात्मक कार्य संबंधी समस्या

स्नेहलता गुप्ता (2013) ने विद्यार्थियों में लिखित दत्तकार्य के प्रति उदासीनता को एक समस्या बताया है। विद्यार्थी के सीखे हुए ज्ञान या पाठ्य-वस्तु के आधार पर बच्चे की सृजन क्षमता को आँका जाता है। उनमें एक समान उत्तर देने का प्रयास किया जाता है, उसने यदि अपनी समझ के आधार पर अलग उत्तर दिया तो उसे गलत कहकर चुप करा दिया जाता है। भाषा की कक्षा में एक सामान्य समस्या बनी रहती है कि बच्चों का मन पाठ के रचनात्मक कार्यों में नहीं लगता है। विद्यार्थियों में रचनात्मक कार्यों को रुचिपूर्वक न कराके इन्हें भी अन्य प्रश्नों की भाँति रटाने का कार्य किया जाता है।

रचनात्मकता शिक्षण की ऐसी रणनीति है, जिसमें विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान और सूचना के आधार पर नयी तरह की समझ विकसित करता है।

मंडलोई (2016) ने प्रश्न को सृजनात्मकता के लिए आवश्यक बताया है। प्रश्न ही विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का विकास करते हैं, लेकिन वर्तमान कक्षाओं में विद्यार्थी को प्रश्न पूछने में डर लगता है, एक अजीब-सी घबराहट होती है। उनके मन में संशय बना रहता है कि वह जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, वह गलत न हो जाए या साथी उनका मज़ाक न बनाएँ या शिक्षक की डाँट न खानी पड़े। अध्यापक का कठोर व्यवहार भी प्रश्न पूछने से रोकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षक उन्हें प्रश्न करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाते और न ही कक्षा में ऐसी स्थिति पैदा कर पाते हैं।

शिक्षकों के सामने शिक्षण के समय कभी-कभी समस्या आती है कि जब वे कुछ व्याख्या कर रहे होते हैं तो कुछ बच्चे अपने में ही मस्त होकर किसी सृजन कार्य में लगे होते हैं। इसका कारण यही है कि उनकी सृजनशीलता को अभिव्यक्ति नहीं मिल पाती है।

प्रशिक्षित शिक्षकों तथा सहायक शिक्षण सामग्री संबंधी समस्या

पाण्डे (2012) ने अपने आलेख "पठन कौशल का विकास कुछ बुनियादी सरोकार" में पठन कौशल विकास हेतु भाषा शिक्षण संबंधित समस्याओं में शिक्षक की भूमिका, पुस्तकालय, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण की कमी आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। भाषा शिक्षण हेतु वर्तमान कक्षाओं में सहायक शिक्षण सामग्री का माध्यम पाठ्य-वस्तु में पुस्तक, श्यामपट्ट ही मात्र रह गया है। कक्षा 1 की कक्षाओं में शिक्षण सामग्री वर्णमाला, जानवर, फल-फूल के चार्टों तक ही सीमित रह जाती है, न तो

विद्यालय की तरफ़ से और न ही प्रशासन की ओर से कोई अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है और न ही किसी प्रकार के संरक्षक की व्यवस्था है। शिक्षक भी समयाभाव की आड़ में असमर्थता व्यक्त करते हैं।

स्कूल की भाषा, बच्चों की भाषा और समझ से संबंधित समस्या

शोभा सिन्हा (2012) ने भारतीय कक्षाओं में पढ़कर समझने की स्थिति पर विचार किया एवं पाया कि कक्षागत प्रक्रियाएँ पढ़कर समझने की प्रक्रिया को अनजाने में कमज़ोर कर सकती हैं। भाषा की शिक्षा में भाषा ही सबसे बड़ी रुकावट बनी रहती है, क्योंकि विद्यार्थियों की भाषा में उसकी समझ द्वारा उसे बेहतर बनाया जा सकता है; लेकिन यदि विद्यालय की भाषा, बोली बच्चे से अलग है तो वह विषय-वस्तु में सक्षम नहीं बना पाती। यदि भाषा की समझ नहीं है तो सहज अभिव्यक्ति एवं व्यावहारिक संप्रेषण कौशल का अभाव बना रहता है। न केवल संप्रेषण करने, बल्कि पढ़ने, लिखने, सहज अभिव्यक्ति करने तथा सीखने के किसी भी चरण में भाषा पर अधिकार न होना अवरोध का कारण बनता है। विद्यार्थियों को अगर उनकी अपनी भाषा में प्रश्न की आज़ादी दी जाए और उनके मन का डर दूर किया जाए तो उनको समझ की समस्या नहीं होगी, लेकिन वर्तमान कक्षाओं में विद्यार्थियों की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच समझ के अभाव से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

भाषाई कौशल संबंधी समस्या

मैथ्यू (1989) और व्यास (2013) ने पढ़ने से संबंधित समस्याओं को उजागर किया है। पढ़ना वस्तुतः अर्थ निर्माण या समझने की प्रक्रिया है। पढ़ना, पाठक व पाठ्य सामग्री के बीच एक अंतर्क्रिया है, जो पाठक के पूर्वज्ञान, अनुभव मनोवृत्ति और उसके घर, परिवेश की भाषा, संस्कृति पर आधारित होती है। लेकिन एन.सी.ई.आर.टी. के मथुरा अध्ययन व कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ने-लिखने एवं समझ की जाँच तथा *असर* रिपोर्ट 2014 के अनुसार, कक्षा 5 के सभी बच्चों में लगभग आधे बच्चे अपने नीचे की कक्षाओं के पाठों को भी नहीं पढ़ पाते हैं। यह रिपोर्ट हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में भाषा विकास में सुधार एवं संवर्धन की तरफ़ हमारा ध्यान आकर्षित करती है।

समाधान

वर्तमान प्राथमिक शिक्षा में भाषा शिक्षा की स्थिति पर उल्लिखित विभिन्न अध्ययनों के आधार पर प्राथमिक कक्षा में भाषा शिक्षण संबंधी समस्याओं के निम्नलिखित समाधान उपयोग में लाए जा सकते हैं —

उपयुक्त कहानी के माध्यम द्वारा शिक्षण

कहानी भाषा विकास हेतु एक ऐसा माध्यम है, जिसमें बच्चों को छपी हुई सामग्री विशिष्ट ध्वनि आरोह-अवरोह द्वारा श्रवण के प्रति रुचि और विषय-वस्तु के ज्ञान का विस्तार होता है। बालमन बहुत कोमल होता है। उन्हें जिस तरह का वातावरण दिया जाता है, उनके मन पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। इसी कारण यह और भी आवश्यक हो जाता है कि बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप कहानियाँ सुनाई जाएँ। रमापति शुक्ल (1975) ने कहानी सुनाने की कला में तीन बातों पर ध्यान रखना आवश्यक बताया

है — (i) कहानी का चुनाव विद्यार्थियों की आयु, रुचि, सामाजिक परिवेश को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए। (ii) कहानी की भाषा सरल, सहज, आवृत्ति का प्रयोग हो। (iii) कहानी कहने की शैली, हाव-भाव एवं अभिनय द्वारा भावाभिव्यक्ति में कुशलता हो।

इन सबके साथ कहानी सुनाने के बाद विद्यार्थियों से भी कहानी सुननी चाहिए तथा प्रश्नों द्वारा कहानी का विश्लेषण करना चाहिए। कहानी को सहायक शिक्षण प्रविधि के रूप में प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों में सहज अभिव्यक्ति, संप्रेषण, व्यावहारिक कौशल आदि क्षमताओं का विकास कर समस्या का समाधान किया जा सकता है।

बातचीत में लक्ष्यपरक संवाद द्वारा शिक्षण

विद्यार्थियों से बातचीत को शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए शिक्षक को बच्चों में यह विश्वास विकसित करना होगा कि वह बातचीत करने के लिए स्वतंत्र रूप से आगे आएँ, विद्यार्थियों में बातचीत का यह भाव संप्रेषित हो कि इसका अर्थ अराजकता नहीं, बल्कि हर बच्चा यह अनुभव करे कि जब वह कुछ कहेगा तो उसे सुना जाएगा और शिक्षक को उनका बोलना अच्छा लगता है। विद्यार्थियों में बातचीत के प्रोत्साहन से संप्रेषण कौशल, भाषाई कौशल, रचनात्मक कौशल आदि का विकास होता है। कृष्ण कुमार (2000) ने बच्चों को बातचीत के लिए प्रोत्साहित करने वाले अवसरों को पाँच कोटियों में रखा है —

- अपने बारे में बातचीत करने के अवसर देना।
- विद्यालयी अनुभवों पर बात करने का अवसर देना।
- तस्वीरों पर चर्चा करना, जैसे — (क) ढूँढ़ना; (ख) तर्क करना; (ग) आरोपण; (घ) भविष्यवाणी; (घ) संबंध बैठाना।
- कहानी सुनना और चर्चा करना।
- अभिनय करना।

शैफाली (2012) मानती हैं कि एक व्यक्ति को जितने ज़्यादा दृश्य संकेत दिखेंगे, वह बातचीत करने में उतना ही ज़्यादा सक्षम होगा। इसी क्रम में उन्होंने टी.वी. विज्ञापन को संवाद शुरू करने के रूप में प्रयोग पर बल दिया है, जिससे विद्यार्थियों में विज्ञापन के संदर्भ में तार्किक विश्लेषण के साथ संवेगात्मक और संज्ञानात्मक विकास भी किया जा सके।

सृजनशील क्रियाओं द्वारा शिक्षण

विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और रचनात्मक सोच को बनाए रखने के लिए — किस्से, कहानियों के साथ दीवार पत्रिका, काव्य आवृत्ति, काव्य संगीत, हस्तकला, चित्रकला, भाव नृत्य, नाटक एवं अन्य पारंपरिक कलाओं से विद्यार्थियों को जोड़ना होगा। इसके लिए अध्यापकों की सोच में भी रचनात्मकता और कल्पनाशीलता होनी चाहिए, तभी वह अपने विद्यार्थियों में इन गुणों का विकास कर सकेगा। विद्यालय का एक प्रमुख दात्यिव विद्यार्थियों को ऐसे सृजनात्मक विचारों वाले व्यक्ति बनाना है, जिनमें जिज्ञासा और अन्वेषण की ललक हो। बचपन की कल्पना चिंतन आगे तक बनी रहती है। प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापक को यह प्रयत्न करना चाहिए कि उसके विद्यार्थियों का दृष्टि-क्षितिज अपने-घर, परिवार, विद्यालय तक ही सीमित न रहे, बल्कि धीरे-धीरे वे अपनी मातृभूमि के चित्रों और जीवन

संसार से परिचित होते जाएँ। "बच्चों की भाषा का संबंध उन अनुभवों से है, जिन्हें वे अपने हाथों और शरीर से स्वयं करते हैं और उन वस्तुओं से भी है, जिनके संपर्क में वे आते हैं। बचपन में शब्द व क्रियाकलाप साथ-साथ चलते हैं। बच्चों के शारीरिक अनुभवों और शब्दों के बीच यह संबंध शिक्षक पर एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी डालता है।" कृष्ण कुमार (2000)

भाषा शिक्षकों को कक्षा में सहायक सामग्री न होने से निराश होने कि बजाय अपने आस-पास ध्यान देने की ज़रूरत है। आस-पास परिवेश में पाई जाने वाली अत्यंत रोचक सामग्री को भाषा विकास का माध्यम बनाया जा सकता है।

भाषाई कौशल विकास के माध्यम द्वारा शिक्षण

भाषाई कुशलता का अर्थ सुनने-बोलने तथा पढ़ने-लिखने के उचित विकास क्रम से है। पठन कौशल के विकास का संबंध पढ़ने की आदत से है, जिसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए सबसे पहले सुनकर समझने की क्षमता का विकास आवश्यक होता है। ताकि विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकों के निर्देशों को समझ पाए और उस भाषा की कहानियाँ और कविताओं को सुनकर समझ पाए, उसका आनंद ले पाए। इसी क्रम में गिजुभाई बधेका (1987) ने भाषा शिक्षण को सिखाने के लिए मूल बातें इस प्रकार बताई हैं —

(i) प्राथमिक शाला में भाषा के तीन आयाम होने चाहिए। एक तो वाचन शिक्षण का, जिसमें वर्ण, ध्वनि, अक्षर, शब्द का वाचन, बारहखड़ी का अभ्यास और वाचन। दूसरा लेखन शिक्षण का, जिसमें देखकर लिखना, सुनकर लिखना, वर्तनी विश्लेषण और लेख लिखना। तीसरा कविता शिक्षण का है, जिसे बालगीत कहा जाता है। (ii) अर्थग्रहण करने के लिए बार-बार सुनना, बार-बार वाचन करना, अर्थ के स्फुरण का उपाय है। शिक्षक के आदर्श वाचन विधि से बालक में सही सुनने और सही अनुमान करने का अवसर मिलता है। (iii) शब्द शिक्षण के बारे में गिजुभाई ने कहा है कि जितने शब्द पदार्थ दिखाकर समझाए जा सकें, उतने तो पदार्थ दिखाकर समझने चाहिए और कुछ शब्दों का इंद्रियों द्वारा परिचय कराना चाहिए।

शिक्षक को पाठ की विषय-वस्तु को परिवेश में जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अपरिचित शब्दों के अर्थ के लिए शब्दकोश का प्रयोग करने एवं संदर्भ में अर्थ खोजने के अवसर दें। इस संदर्भ में एक प्रयोग सुखोम्लोवस्की (1998) ने किया। उनकी कक्षा में सभी विद्यार्थियों के पास एक डायरी "शब्दों की पिटारी" थी जिनमें वे शब्द लिखे जाते थे, जो उन्हें रोचक तथा जिनका अर्थ वे समझ नहीं पाते थे। यह प्रयोग प्राथमिक कक्षा में सहायक हो सकता है। पाठ में आए मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ खोजने एवं उपसमूहों में प्रश्नों पर आपस में चर्चा करने और कहानी को अपने शब्दों में लिखने तथा अभिनय करने, चित्र बनाने, अवलोकन करने आदि का अवसर दिया जाए।

दत्त कार्य तथा खेल के माध्यम द्वारा शिक्षण

कृष्ण कुमार (2000) ने खेल गतिविधियों को प्रस्तुत किया है, जैसे — नामों का संग्रह, बूझो मैंने क्या देखा, जो पढ़ा वह करो, कविताएँ लिखना, तुकबंदी आदि

खेलों का शिक्षक कक्षा की आवश्यकतानुसार क्या करना ठीक है, इसे ध्यान में रखकर योजना बनाएँ।

विद्यार्थियों को दिए जाने वाला दत्त कार्य मुख्य रूप में किसी संबंधित व्यक्ति से चर्चा करके जानने और लिखने जैसा काम हो। यह कार्य कक्षा में सीखे हुए ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद करे तथा इन गृह कार्यों द्वारा विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता तथा रचनात्मकता का विकास हो। खेलों के माध्यम से भाषा शिक्षा न केवल विद्यार्थियों द्वारा भाषा के उपयोग को बेहतर करने में मदद करता है, बल्कि सभी की भागीदारी होने पर कक्षा आनंदमयी भी हो जाती है।

प्रश्नों के माध्यम से शिक्षण

विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए और उसकी सोच का दायरा बढ़ाने के लिए प्रश्न का होना आवश्यक है, ताकि उसमें जानने की इच्छा और उत्सुकता निरंतर बढ़ती रहे। जिज्ञासा और कल्पनाशीलता के प्रोत्साहन, दृष्टिकोण की क्रियाशीलता, झिझक या संकोच को तोड़ते हुए व्यक्तित्व के निखार हेतु प्रश्न ज़रूरी है। विद्यार्थियों के अंदर ही कल्पनाशीलता का पता हमें उनके द्वारा किए गए प्रश्नों के माध्यम से चलता है। पढ़ना सिखाने का बेहतर उपाय है, यदि किसी विद्यार्थी से उत्तर के स्थान पर प्रश्न बनाने के लिए कहा जाए तो प्रश्न तैयार करने के लिए उसे संबंधित जानकारी जुटानी होगी और जवाब तैयार हो जाएगा।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि भाषा अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, जो मानव के विचार, भावों तथा संप्रेषण को जोड़ती है। विभिन्न भाषाई कौशल — सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना को ग्रहण करते हुए व्यक्ति भाषा में निपुण हो जाता है। शिक्षा में भाषाई कौशल का होना अनिवार्य तथ्य है। समय पर भाषा शिक्षण के विकास तथा कार्यान्वयन के लिए आयोगों तथा नीतियों का निर्धारण होता रहा है। लेकिन भाषा शिक्षण की समस्याओं में शैक्षिक पाठ्यक्रमों को पढ़ाने हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के कारण भाषाई कुशलता, सहज अभिव्यक्ति, संप्रेषण तथा सृजनात्मकता की समस्या आज भी बनी हुई है। इन समस्याओं का निदान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भाषा शिक्षण की प्रखरता ही सभी विषयों के ज्ञान को प्रभावित करती है। विद्यार्थियों की सहज एवं सशक्त अभिव्यक्ति ही आगे की नींव को मज़बूत बनाती है जो प्रभावशाली भाषा शिक्षण से ही संभव है।

संदर्भ

ऐन्युअल स्टेटस ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट 2016.

कुमार, कृष्ण. 2000. *बच्चे की भाषा और अध्यापक— एक निर्देशिका*. नेशनल बुक ट्रस्ट, नयी दिल्ली.

पाण्डे, लता. 2012. पठन कौशल का विकास — कुछ बुनियादी सरोकार. *भारतीय आधुनिक शिक्षा*. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

प्रसाद, केशव. 1976. *हिंदी शिक्षण*. हिंदी धनपत राय एंड संस.

फिरोज़ा, मु. 2003. वाक-वाचन और लेखन कौशल का विकास. *प्राथमिक शिक्षक*. 84(1). एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

बधेका, गिजुभाई. 1987. *प्राथमिकशाला में भाषा शिक्षण*. अनुवादक, काशीनाथ त्रिवेदी. मांटेसरी बाल शिक्षण समिति प्रकाशक, राजलदेसर.

मंगल, एस.के. 2011. *शिक्षा मनोविज्ञान*. पी.एच.आई. लर्निंग, नयी दिल्ली.

मंडलोई, कैलाश. 2016. *प्रश्न करने से हिचकिचाते बच्चे — शैक्षिक दखल*. 5(8).

मैथ्यू, ए.एम. 1989. पठन कौशल में भाषा समझ की परख क्षमता का अध्ययन. संपादन में एम.बी. बुच. *फ़िफ़्थ सर्वे ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च*. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

यूनुस, रेवा. 2014. नो टाफिंग चिल्ड्रेन — स्पीच एंड साइलेन्सिंग इन लैंग्वेज क्लासरूम्स ऑफ़ डिफरेन्स डायलॉग एंड लर्निंग. *लैंग्वेज एंड लैंग्वेज टीचिंग जर्नल*. वॉल्यूम 3, नं. 1.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा — 2005*. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

———. 2006. *प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं का पाठ्यक्रम*. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

———. 2006. भारतीय भाषाओं का शिक्षण राष्ट्रीय फ़ोकस समूह का आधार पत्र. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

———. 2012. प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा. *भारतीय आधुनिक शिक्षा*. 32(4). नयी दिल्ली.

———. 2014. *राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण*. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

———. 1964–66. एजुकेशन एंड नेशनल डिवेलपमेंट रिपोर्ट ऑफ़ द एजुकेशन कमीशन. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

———. 1976. *दसवर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा*— 1976. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

———. 2000. विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा— 2000. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

रे, शेफाली. 2012. यूज़िंग लैंग्वेज इन द कम्यूनिटि फ़ॉर इनहेंसिंग कम्युनिकेशन स्किल्स. *लैंग्वेज एंड लैंग्वेज टीचिंग जर्नल*.

व्यास, अपर्णा. 2013. हिंदी शिक्षण—वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक चुनौती. *भारतीय आधुनिक शिक्षा*. 33(4). एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.

शुक्ल, रमापति. 1975. *हिंदी शिक्षण प्रविधि*. दोआबा हाऊस प्रकाशक, दिल्ली. पृ. 224.

सफाया, पं. रघुनाथ. 1937. *हिंदी शिक्षण विधि*. पंजाब किताब घर, प्रकाशन, जालंधर.

सिन्हा, शोभा. 2012. रीडिंग विदाउट मीनिंग. द डाइलेमा ऑफ़ इंडियन क्लासरूम्स. *लैंग्वेज एंड लैंग्वेज टीचिंग जर्नल*. वॉल्यूम 1, नं. 1.

सुखोम्लोन्सकी, वसीली. 1998. *बचपन के दिन*. अनुवादक, योगेन्द्र नागपाल, अरुण प्रकाशन, नयी दिल्ली.

श्रीवास्तव, रवीन्द्रनाथ 1992. *भाषा शिक्षण*. वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली.

श्रीवास्तव, रश्मि. 2015. शैक्षिक समावेशन के संदर्भ में मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा. *भारतीय आधुनिक शिक्षा*. 36(1). एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली.